न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 582 सन 2018

अनवान :–

1. रूपसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील ऐलनाबाद ।
2. सरूपसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील ऐलनाबाद।

वादीगण

बनाम

1. गुडडी पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
2. गोलो पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
3. कैलो पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 16/16 की कुल 8.8550हैक में से 1/3 हिस्सा , व रोही मोजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0120हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदेवसिह पुत्र बशाखा सिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि गुरदेवसिह पुत्र बशाखा सिह के नाम से दर्ज है गुरदेवसिह पुत्र बशाखासिह ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वैच्छा से वाद भूमि की एक वसीयत दिनांक 03.01.2011 को अपने पुत्रों वादीगण के नाम तहरीर करवाई जाकर उप पंजीयक ऐलनाबाद में पंजीबद्व करवाई गई थी।

गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह जाति जटसिख को देहान्त हो चुका है गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह के देहान्त होने पर गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह के नाम दर्ज भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हो गई है वादीगण गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह जाति जटसिख के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है गुरदेवसिह के वारिसान उनकी पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया गया है कि उनके पिता ने अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में स्वैच्छा से वसीयत तहरीर करवाई गई थी गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गुरदेवहिस पुत्र बशाखा सिह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वसीयत के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता गुरदेवसिह पुत्र बशाखासिह के नाम से दर्ज है उनके पिता गुरदेवसिह ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से वाद भूमि की वसीयत वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के भाई के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता गुरदेवसिह का देहान्त होने के बाद गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये वाद भूमि गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 16/16 की कुल 8.8550हैक में से 1/3 हिस्सा , व रोही मोजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0120हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदेवसिह पुत्र बशाखा सिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि गुरदेवसिह पुत्र बशाखा सिह के नाम से दर्ज है गुरदेवसिह पुत्र बशाखासिह ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वैच्छा से वाद भूमि की एक वसीयत दिनांक 03.01.2011 को अपने पुत्रों वादीगण के नाम तहरीर करवाई जाकर उप पंजीयक ऐलनाबाद में पंजीबद्व करवाई गई थी।

गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह जाति जटसिख को देहान्त हो चुका है गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह के देहान्त होने पर गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह के नाम दर्ज भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हो गई है वादीगण गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह जाति जटसिख के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है गुरदेवसिह के वारिसान उनकी पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया गया है कि उनके पिता ने अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में स्वैच्छा से वसीयत तहरीर करवाई गई थी गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 16/16 की कुल 8.8550हैक में से 1/3 हिस्सा , व रोही मोजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल

उपखण्ड अधिकारी
वोहर

Scanned with CamScanner

में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदेवसिह पुत्र बशाखा सिह के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता गुरदेवसिह पुत्र बशाखासिह के नाम से दर्ज है वादीगण के पिता गुरदेवसिह पुत्र बशाखसिह ने अपने जवीनकाल में अपनी स्वैच्छा से वाद भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में तहरीर करवाई गई थी वादीगण के पिता गुरदेवसिह का देहान्त हो चुका है वादीगण गुरदेवसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हे वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादीगण की बहने है ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पिता गुरदेवसिह ने अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी गुरदेवसिह उनके पिता का देहान्त हो चुका हे उनके पिता गुरदेवसिह के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि उनके भाईयो वादीगण के नाम भूमि दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 16/16 की कुल 8.8550हैक में से 1/3 हिस्सा , व रोही मोजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0120हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदेवसिह पुत्र बशाखा सिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रूपसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील ऐलनाबाद ।
2. सरूपसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील ऐलनाबाद।

वादीगण

बनाम

1. गुडडी पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
2. गोलो पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
3. कैलो पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी पोहडका तहसील नोहर हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 582 सन 2018 निर्णय दिनांक– 25/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 16/16 की कुल 8.8550हैक में से 1/3 हिस्सा , व रोही मोजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0120हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदेवसिह पुत्र बशाखा सिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner